अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/29/अपील/निगरानी हेमलता V/s बस्तीराम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/29 श्री राकेश अरोड़ा श्री वी.के. विजयवर्गीय	

हेमलता बनाम बस्तीराम वगैरह

5.3.21

बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01, 04 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष की प्रार्थना पत्रं पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.01.2021 को प्रकरण अदम तकमील में निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है जबकि उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02, 03 को मृतक अंकन करते हुए स्वंय अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा निगरानी याचिका संख्या 7674/2014 स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16.05.2017 को प्रतिप्रेषित किया गया है स्वंय अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मण्डल के समक्ष उपरोक्त मृतक के कायममुकामान को रिकार्ड पर अभिलेख पर नहीं लिया गया है एवं मान्नीय न्यायालय के समक्ष भी उक्त पक्षकारान के कायम मुकामान को अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक नहीं होने से उक्त पक्षकारान को नाम तर्क किया जाना न्यायोचित रहा है। मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का उक्त पक्षकारान के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किया जाना वर्णित करते हुए निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि निरस्तनीय है। मान्नीय मण्डल के द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने के कारण प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाना है। मान्नीय न्यायालय द्वारा उक्त बाबत् प्रफोर्मा पक्षकार की तामीली नहीं कराए जाने के आधार पर प्रकरण में अदम तकमील में निरस्त किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण के निरस्त होने की जानकारी प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से आगामी पेशी की जानकारी चाहे जाने पर हुई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने, प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रकरण को न्याहित में पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 14.01.2021 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01, 04 ने दौराने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 की कायममुकाम की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 02 की मृत्यु वाद की विचाराधीन अवधि में ही हो गई थी। अप्रार्थी संख्या 03 का निधन भी काफी वर्ष पूर्व हो चुका है, जिसकी जानकारी व प्रार्थीगण को रही है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा निगरानी को स्वीकार करते हुए पत्रावली पुनः मान्नीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2017 की पेशी नियत की गई थी तथा दिनांक 14.07.2017 को पत्रावली मान्नीय न्यायालय के प्राप्त हो गई थी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.07.2017 से आज दिनांक तक मृतक अप्रार्थी संख्या 02, 0 3 के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अनावश्यक प्रकरण में विलम्ब किया जा रहा था जिसके कारण प्रकरण अप्रार्थी संख्या 02, 03 के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने से मान्नीय न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिनुसार है जिसे निरस्त कराये जाने का कोई आधार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01, 0 4 के द्वारा निगरानी याचिका मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उसमें प्रार्थी द्वारा जो पक्षकार व पता अपनी इजराय व मूल दावें में अंकित किया गया था, वहीं अंकित किया गया था। प्रार्थी स्वंय के द्वारा बनाये गये सभी पक्षकारों के पते प्रस्तुत तथा उनकी समुचित तामिल करावें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/29/बाज. प्र.पत्र   हेमलता V/s बालूराम

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	श्री रविकिशन अरोड़ा श्री विवेक विजयवर्गीय अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 04 के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्ष 2017 से आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 05 के नोटिस पेश नहीं किये थे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कायममुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। अभिभाषक को प्रार्थना पत्र बाजदायरी इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है कि अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 05 के नोटिस अखबार में साया कराया जावें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कायममुकाम की कार्यवाही करेंगें। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	